कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2215 /FP/UK/Others/44711/2020 देहरादूनः दिनांकः 03 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या–SB/UCP/09/140/2021/FC/1056 दिनांक 01.11.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 01.11.2022** के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2391/12–1 दिनांक 24.03.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना	उत्तरालेख
1	In reply to point no.1 Justification provided for proposing a non site-specific project In forest land is not sufficient. The State Govt. should provide the category- wise distribution of the area of the district (RF, Civil Soyam, Van panchayat, Revenue, private, etc). The State Government is also requested to submit provide the land –use of the district and a proper justification ad to why the project could not be taken at any other place in the district.	वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part–I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 1. Certificate related for Category Wise Area of Land for District Rudraprayag is uploaded in online Proposal at additional documents and same is submitted in this letter at attachment no. 1. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. (संलग्नक–1)
2	In reply to point no.2. Residential component is given in the component-wise break–up, which may not be allowed on forest land. State Govt. is requested to ensure the necessary correction in the details provided in the component wise breakup at para B 2.4in part I	वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– Residential building will not be constructed in the proposed land. Component wise breakup is revised and uploaded at para B 2.4 in part I. Document related to this query is attached in this letter at attachment 2. (संलग्नक–2)
3	In reply to point no 3, layout plan still not submitted .State Government is again requested to submit the layout plan and activity details of each polygon/patch separately	वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– Layout plan and activity details of each patch is submitted in this letter at attachment no 3 and same is uploaded in online proposal at additional documents. (संलग्नक–3)

4	In reply to point no 4, the justification provided is does not seem to be proper. State Government is requested to submit the clarificationin this regard.	वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– Revised Justification is uploaded in online proposal at para D of part–I and same is uploaded in online proposal at additional documents and it is submitted in this letter at attachment at no 4. All supporting documents related to this query are attached at attachment no. 1. **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
5	In reply to point no 5, violation is reported after observation raised by this office. If the existing building was constructed before uploading the proposal under FC Act 1980, then action should have been initiated by the Forest Dept. under IFA 1927, but no such information has been provided, which is required to be provided.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रकरण में हुये उल्लंघन के संबंध में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 31.07.2015 **(संलग्नक–4)** को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया गया तत्पश्चात् वन भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया। प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत अगस्त्यमुनि रेंज ने अपने पत्रांक–260/12 दिनांक 23.10.2015 **(संलग्नक–5)** के द्वारा संबंधित विभाग को बिना वन भूमि हस्तान्तरण/स्वीकृति के किये जा रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा प्रभागीय कार्यालय को सूचित किया गया। उक्त के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्रांक–372/भूमि विशयक–2015–16 दिनांक 04.11.2015 **(संलग्नक–6)** के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल राजस्व भूमि/9(ख)–2 तथा वहां पर कोई जंगल न होने के कारण जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना प्रभागीय कार्यालय के पत्रांक–1304 /12–1(2) दिनांक 05.11.2015 **(संलग्नक–7)** से पूर्व में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को प्रेषित की गई एवं प्रकरण का दिनांक 06.11.2015 को स्थलीय निरीक्षण कर उल्लंघन संबंधित विवरण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट **(संलग्नक–8)** तथा परिवेश पोर्टल के पैरा–11 **(संलग्नक–9)** में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया। चूंकि प्रस्ताव गठन के बाद निर्माण कार्य अवैध रुप से किया गया था। अतः IFA 1927 में कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी, परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन संबंधी सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित कर दी गई थी।
6	Regarding point No. 10 of this office EDS letter, the reply indicates that the State Govt. has made no efforts in avoiding forest land for the proposed non site-specific activity. However, alternatives must have been explored by the State Govt. The State Govt is requested to submit the clarification and necessary information in this regard.	वन संरक्षक द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 06.03.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– Proper and suitable non-forest land was searched at nearby village level, revenue level and private level, but proper and suitable land was not found available for establishment of polytechnic in nearby places. A meeting was held with the village heads of the nearby 4 gram panchayats (Kunda dankot, Kolu-Bhannu, Gorna and Tadag) for the availability of private land, but all the village heads said

		that land was not available, in relation to which all the 4 village heads signed certificate of non-availability of suitable private land was given. The certificate of non-availability of any other revenue land has also been given by Tehsildar and Sub-Divisional Officer, Rudraprayag. All supporting documents related to this query are **attached at attachment no. 1.** (संलग्नक–1 के अनुसार)

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली),
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या– 2315/FP/UK/Others/44711/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2391/12–1 दिनांक 24.03.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

03/4/23

(एस0एस0 रसाईली),
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।